

भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार
आपराधिक अपील क्रमांक 1411/2013

मध्यप्रदेश शासन

..... अपीलार्थी

बनाम

कालीचरण और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

1. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार जबलपुर की ग्वालियर खण्डपीठ के आपराधिक अपील क्रमांक 43/1997 में पारित आलोच्य निर्णय और आदेश दिनांक 18.11.2008 से क्षुब्ध और असंतुष्ट महसूस कर पेश की है जिसमें मूल अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से मंजूर किया है और विद्वान विचारणीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2007 को पारित दोषसिद्धि और सजा के निर्णय और आदेश को अपास्त किया जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में प्रतिवादी मूल अभियुक्त को 148, 302/149, 325/149, 323/149 भा.द.वि. की धाराओं में दण्डित किया और अभियुक्त रामअवतार का दण्ड भा.द.वि. की धारा 302/149 से भा.द.वि. की धारा 304 भाग-2 में परिवर्तित किया गया और उसे पाँच वर्ष का सश्रम कारावास और रुपये 5000 का जुर्माने की सजा दी और भा.द.वि. की धाराओं 148 और 302/149 के अंतर्गत अपराधों से उसकी दोष सिद्धी को अपास्त कर दिया, अभियुक्त कालीचरण को भा.द.वि. की धाराओं 323 और 325 के अंतर्गत दोषसिद्धि को परिवर्तित किया और पहले से ही व्यतीत अवधि तक सजा को घटा दिया, अभियुक्तगण अमर सिंह , केदार , अभिलाष और रामगोपाल को भा.द.वि. की धाराओं 148, 302/149, 325/149 और 323/149 के अंतर्गत दोषसिद्धि को अपास्त किया और उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपो से उन्हें दोषमुक्त किया, अभियुक्तगण तेज सिंह, गंगाराम और वेदरी को भा.द.वि. की धाराओं 148, 302/149, 325/149 से दोषसिद्धि को अपास्त किया और उनको भा.द.वि. की धारा 323 का अपराध कारित करने के लिए दण्डित किया उनके द्वारा पहले ही व्यतीत अवधि की सजा तक कम कर दिया, राज्य ने वर्तमान अपील को प्रस्तुत किया है।

2. संबंधित उभयपक्षों के लिए उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ताओं को हमने विस्तार से सुना। संबंधित उभयपक्षों के लिए उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद उच्च

न्यायालय द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्ष और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार कर, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय और आदेश जहाँ तक अभियुक्त कालीचरण, अमरसिंह, केदार, अभिलाख, राम गोपाल, तेज सिंह, गंगा राम और वेदरी का संबंध है में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और अन्य तथ्यों पर विचार किया कि यह एक स्वतंत्र लड़ाई थी और पूर्वोक्त अभियुक्त को जो भूमिका दी गई, उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त अभियुक्त को भा.द.वि. की धाराओं 148, 302/149 के अंतर्गत अपराधों के लिए उचित रूप से दोषमुक्त कर दिया है। यह इस न्यायालय के कंवरलाल विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य (2002) 7 एस सी सी 152 के निर्णय के बिल्कुल अनुरूप है। इसलिए वर्तमान अपील उपरोक्त अभियुक्तगण (रामअवतार को छोड़कर) के विरुद्ध खारिज करने योग्य है।

3. अब, जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामअवतार की दोषसिद्धि भा.द.वि. की धारा 302/149 से धारा 304 भाग 2 में परिवर्तित करने का उच्च न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय और आदेश का संबंध है, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कथित अभियुक्त रामअवतार द्वारा घातक प्रहार किया गया। मृतक कल्याण को उसके सिर पर चोट लगी जो कि अभियुक्त रामअवतार द्वारा कारित की गई। अभियुक्त रामअवतार द्वारा कारित उक्त चोट शरीर के महत्वपूर्ण भाग यानी सिर पर थी और घातक सिद्ध हुई। सिर्फ इसलिए कि अभियुक्त रामअवतार ने फर्सा के भौथरी तरफ से सिर पर चोट पहुंचाई थी, उच्च न्यायालय के द्वारा भा.द. वि. की धारा 304 भाग-2 की दोषसिद्धि को परिवर्तित करना न्यायोचित नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय ने कई मामलों में अभिनिर्धारित किया, भले ही एक प्रहार के मामलों में लेकिन शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर हो तो प्रकरण भा.द.वि. की धारा 302 में आ सकता है और अभियुक्त को भा. द.वि. की धारा 302 के अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्धि की जा सकती है। यद्यपि मामले के तथ्य और परिस्थितियों में इससे ज्यादा विशेष रूप से की यह स्वतंत्र लड़ाई का मामला था, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अभियुक्त रामअवतार द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार फरसा था और उन्होंने शरीर के महत्वपूर्ण भाग यानि सिर पर चोट कारित की थी जो कि घातक साबित हुई, मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त रामअवतार की भा.द.वि. की धारा 302/149 की दोषसिद्धि से धारा 304 भाग-2 में परिवर्तित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और अभिलेख पर आयी साक्ष्य पर विचार कर विशेष रूप से उससे अधिक चिकित्सीय साक्ष्य और जिस तरीके से घटना कारित हुई, हमारी राय है कि अभियुक्त रामअवतार को भा.द.वि की धारा 304 भाग-1 के अन्तर्गत अपराध के लिये दोषी ठहराया जाना चाहिये था। इस हद तक, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय और

आदेश खारिज और अपास्त किये जाने योग्य है। अभियुक्त रामअवतार की दोषसिद्धि भा.द.वि की धारा 304 भाग-2 से धारा 304 भाग-1 में परिवर्तित की जाती है।

3.1 उपर्युक्त और उपरोक्त अभिलिखित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान अपील भागतः सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश जहाँ तक अभियुक्त रामअवतार की दोषसिद्धि को भा.द.वि. की धारा 302/149 से भा.द.वि. की धारा 304 भाग-2 में परिवर्तित किया है और उसे भा.द.वि. की धारा 304 भाग-2 के अन्तर्गत अपराध के लिये उसे 5 साल का सश्रम कारावास के साथ 5000 रु. के जुर्माने की सजा दी गई वह एतद्वारा खारिज और अपास्त की जाती है। अभियुक्त रामअवतार (प्रतिवादी क्रमांक 2) की दोषसिद्धि भा.द.वि की धारा 302 से भा.द.वि की धारा 304 भाग-1 में परिवर्तित की जाती है और उसे 8 साल का सश्रम कारावास सहित रुपये 5000 जुर्माने की सजा भुगतनी होगी और जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम में छः माह का सश्रम कारावास और भुगतना होगा। अभियुक्त रामअवतार (इसमें प्रतिवादी क्रमांक 2) को उसकी सजा के शेष भाग को भुगतने के लिए उसे आत्मसमर्पण करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है। उच्च न्यायालय के शेष निर्णय और आदेश की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

.....न्यायमूर्ति

(एम.आर.शाह)

नई दिल्ली;

मई 31, 2019

.....न्यायमूर्ति

(ए.एस.बोपन्ना)

:: खंडन ::

क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिये है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन तथा क्रियान्वयन के उद्देश्य के लिये प्रभावी माना जावेगा।